



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

Ministry of Education

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

Ministry of Education

(Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं. 5-119/2022 (शै.)/मसारावेविप्र/ 1118

दिनांक : 22.04.2022

वेद भूषण - प्रथम वर्ष आनलाइन प्रवेश (Online Admission) अधिसूचना

वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में वर्ष 2022-23 में श्रुति परम्परा के अनुसार वेदों के सस्वर

अध्ययन हेतु वेद भूषण प्रथम वर्ष में छात्रों के आनलाइन प्रवेश के संबंध में ।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में वेद भूषण 1-3 (प्रथमा स्तर) एवं वेद भूषण 4-5 (पूर्व मध्यमा स्तर) से तथा वेद विभूषण 1-2 (उत्तर मध्यमा स्तर) तक कुल सात वर्षों का वेदों के सस्वर अध्ययन पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

प्रतिष्ठान द्वारा संचालित वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में श्रुति परम्परा के अनुरूप वेदों के सस्वर अध्ययन हेतु वेद भूषण प्रथम वर्ष में आनलाइन प्रवेश (Online Admission) आवेदन दिनांक 25/04/2022 से 31/05/2022 तक प्रत्येक वेदपाठशाला / प्रत्येक गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में स्वीकार्य किए जाएंगे।

"गैर-वित्तपोषित इकाइयां" स्वीकृत नहीं होंगी। हालाँकि, वित्तपोषित वेद शिक्षक पाँच गैर-वित्तपोषित छात्रों को वेद पढ़ा सकते हैं। वित्तपोषित वेद शिक्षक के संख्या में (गुरु-शिष्य परम्परा/ पाठशाला) के तहत कई खाली वित्तपोषित सीटें हैं। इसलिए, सभी रिक्त वित्तपोषित छात्रों की सीटें प्राथमिकता के आधार पर भरी जाएं। नियमित वेद पढ़नेवाला सभी छात्रों को प्रोत्साहित करना प्रतिष्ठान का उद्देश्य है।

वित्त पोषित वेद छात्र के रूप में प्रवेश होने पर, आधार संख्या सत्यापन होने, अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते होने पर भारत सरकार की ओर से भोजन एवं आवास - रखरखाव हेतु रू.3000/ प्रति माह वित्त पोषित वेदपाठशाला को / वित्त पोषित गुरु-शिष्य परम्परा इकाई के खाते में एवं स्वतः व्यय हेतु वित्त पोषित वेद छात्र के अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते में रू.1000/ प्रति माह प्रेषित किए जाएंगे। वेद अध्ययन हेतु वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में छात्र के साक्षात उपस्थित होने पर ही भोजन एवं आवास - रखरखाव अनुदान मंत्रालय से प्राप्त बजट के अन्तर्गत प्रदान किया जाएगा। ऑनलाईन अध्ययन करने पर कोई भी अनुदान प्रदेय नहीं होगा।

वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में वेद भूषण प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु छात्र को आनलाइन प्रवेश प्रपत्र में निम्न अभिलेखों (Documents) की आवश्यकता होगी :

- 1 यदि छात्र कक्षा 5वीं उत्तीर्ण है, तो कक्षा 5वीं उत्तीर्ण अंकसूची (Mark-sheet), विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (School Leaving Certificate) की स्कैन प्रति संलग्न करना अत्यंत अनिवार्य है।

- 2 विना कांट छांट एवं स्वच्छ जन्म तिथि प्रमाण पत्र (सरकारी प्राधिकार द्वारा प्रदत्त), आधार कार्ड प्रति एवं पूर्व अध्ययन अंक पत्र प्रति जांच हेतु संलग्न करना अत्यंत अनिवार्य है।
- 3 छात्र की वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 16 वर्ष (जून, 2022) मान्य होगी।
- 4 प्रवेश हेतु छात्र का अभिभावक के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता होना अत्यावश्यक है। बैंक में अभिभावक के साथ संयुक्त खाता न होने पर छात्र का प्रवेश वित्त पोषित छात्र के रूप में किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। प्रवेश हेतु छात्र के अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिस पर छात्र तथा अभिभावक का चित्र संलग्न एवं खाता संख्या मुद्रित है), की स्कैन प्रति आवश्यक होगी।
- 5 वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में प्रवेश, भोजन एवं आवास हेतु कोई /डोनेशन/ फीस अथवा अन्य धरोहर राशि /किसी को भी देय नहीं।
- 6 यदि छात्र वैदिक परम्परा से संबंधित है/बाल्य काल से परम्परा से वेद अध्ययन कर रहा है और किसी कारण वश छात्र किसी आधुनिक विद्यालय से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण नहीं है, तो छात्र को कक्षा 5वीं के समकक्ष लिखने पढ़ने की योग्यता (हिन्दी /अंग्रेजी/ सामान्य ज्ञान/ गणित) के बारे में किसी भी सरकारी विद्यालय के अध्यापक से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 7 वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई स्तर पर, प्रतिष्ठान से निर्देश प्रप्ति तक प्रवेश अस्थाई ही होगा।

अतः वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में प्रवेश हेतु इच्छुक समस्त विद्यार्थी निम्न लिखित अभिलेखों को पृथक-पृथक JPEG प्रारूप में स्कैन प्रति तैयार रखें।

1. छात्र का नवीनतम रंगीन छाया चित्र (40 KB तक) की JPEG प्रति
2. छात्र के अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिस पर छात्र तथा अभिभावक का चित्र संलग्न एवं खाता संख्या मुद्रित है), की JPEG प्रति
3. कक्षा 5वीं उत्तीर्ण अंकसूची (Mark-sheet), विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (School Leaving Certificate) की JPEG प्रति अथवा 5वीं के समकक्ष कक्षा अथवा 5वीं उत्तीर्ण नहीं तो छात्र को कक्षा 5वीं के समकक्ष लिखने पढ़ने की योग्यता (हिन्दी /अंग्रेजी/ सामान्य ज्ञान/ गणित) के बारे में किसी भी सरकारी विद्यालय के अध्यापक से प्राप्त प्रमाण पत्र की JPEG प्रति
4. विना कांट छांट एवं स्वच्छ जन्म तिथि प्रमाण पत्र (सरकारी प्राधिकार द्वारा प्रदत्त) की JPEG प्रति
5. आधार कार्ड की JPEG प्रति



(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड़ीपाल)

सचिव

वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में प्रवेश हेतु प्रवेश संबन्धी दिशा निर्देश एवं सोपान

1. वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक अपने अधीन प्रवेश के लिए इच्छुक छात्रों के प्रवेश विवरण प्रपत्र को छात्र /अभिभावक से भरवाकर, छात्र एवं उसके अभिभावक से यथास्थान हस्ताक्षर कर, अभिलेखों के साथ रख लें। अनिवार्य (Educational Certificate, Birth Certificate, Joint A/C Pass Book, Aadhaar Copy) एवं वांछनीय अभिलेखों की स्मार्ट फोन स्कैनर द्वारा स्कैन प्रति तैयार कराकर पृथक् पृथक् JPEG प्रारूप में रखें।
2. वेदपाठशाला के व्यवस्थापक/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक अपने लाग-इन-आईडी (Log-in-Id) से आनलाइन प्रवेश (Online Admission) हेतु प्रतिष्ठान वेबसाइट में प्रवेश करें।
3. छात्र /अभिभावक द्वारा भरे गये प्रवेश विवरण पत्र अनुसार ही आनलाइन प्रवेश (Online Admission) हेतु कम्प्यूटर द्वारा विवरण भरकर छात्र का रजिस्ट्रेशन करें। अन्त में Submit करें एवं Print दबाकर Print लें।
4. Submit करते ही पंजीयन क्रमांक दिखेगा। उसे अवश्य नोट कर लें। बाद में उस पंजीयन क्रमांक से भी प्रवेश विवरण पत्र का प्रिंट ले सकेंगे। तुरन्त Print नहीं लेने पर, बाद में पंजीयन क्रमांक से Find से प्रवेश विवरण पत्र का प्रिंट ले सकेंगे।
5. कम्प्यूटर द्वारा विवरण भरकर छात्र का रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई त्रुटि हो तो 24 घंटे तक उसे सुधार किया जा सकता है।
6. प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने की, छात्र /अभिभावक द्वारा भरे गये प्रवेश विवरण प्रपत्र, उनके संलग्नक एवं अन्य कागजात को सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी वेदपाठशाला के व्यवस्थापक/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक की रहेगी।
7. छात्र /अभिभावक द्वारा भरे गये प्रवेश विवरण प्रपत्र, उनके संलग्नक को तुरन्त प्रतिष्ठान पते पर भेजना अनिवार्य है।
8. पाठशालाएं आनलाइन प्रवेश (Online Admission) में होनेवाले व्यय को प्रतिष्ठान द्वारा की जानेवाली आकस्मिक अनुदान राशि के लिपिकीय व्यय (10%) में से दर्शा सकती हैं।


(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डिपाल)
सचिव

सूचना-

1. नवीन छात्र के प्रवेश आवेदन पत्र का नमूना संलग्न है। कृपया प्रपत्र को डाउनलोड कर छात्र से छात्र / अभिभावक से भरवाकर आनलाइन प्रवेश (Online Admission) का अभ्यास करें।
2. वेदपाठशाला के व्यवस्थापक/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक को 2018 में ही Log-in-Id एवं Password दिया गया था। नवीन स्वीकृत अध्यापकों को Log-in-Id एवं Password दिये जायेंगे।
3. जो गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों ने अपने अपने ई-मेल नहीं प्रेषित किया है, वे तुरन्त अपने अपने ई-मेल प्रेषित करें।
4. नवीन वित्त रहित इकाई की स्वीकृति नहीं होगी एवं वित्त रहित इकाई में नवीन छात्र प्रवेश मान्य नहीं होगा। वित्त पोषित अध्यापक के अधीन 5 वित्त रहित छात्र प्रवेश लेकर वेद अध्ययन कर सकते हैं।



(प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल)

सचिव